छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | सप्तम् सत्र | अंक-4

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 25, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 85 तारांकित एवं 94 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 05 (वाणिज्यिक),

(2) श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 28202/रूल-503/16/एजी. एसईसी. (टेक), दिनांक 03 नवम्बर, 2025,

(3) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-2025,

(4) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-2025,

(ii) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025)

(iii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(iv) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025), तथा

(5) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025),

पटल पर रखे।

3. पृच्छा

माननीय डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में चल रही वृक्षों की कटाई संबंधी विषय पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

इस संबंध में माननीय सदस्य सर्वश्री उमेश पटेल, रामकुमार यादव, लालजीत सिंह राठिया, विक्रम मण्डावी, ने भी विचार व्यक्त किए।

श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार एवं श्री अटल श्रीवास्तव सदस्य ने भी विविध विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये।

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025

4. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में कोल उत्खनन से उत्पन्न स्थिति.

मानननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में कोल उत्खनन से उत्पन्न स्थितियों के संबंध में 33 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री केदार कश्यप, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(स्थगन प्रस्ताव को ग्राहय कर चर्चा नहीं कराये जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंड़िया, उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूल सिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इन्द्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें।

6. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजय चन्द्राकर, डॉ.चरणदास महंत, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में संचालित औद्योगिक इकाईयों में व्याप्त अव्यवस्था, कुप्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था के अभाव की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(विभागीय वक्तव्य अत्यंत लंबा होने के कारण सभापति महोदय ने भविष्य में वक्तव्य छोटा रखने हेतु संबंधित मंत्री को निर्देशित किया।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

8. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है । भोजन की व्यवस्था माननीय श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने सिहावा विधानसभा क्षेत्र में नगरी विकास-खण्ड की 18 शालाओं के भवनों की जर्जर स्थिति होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित कि श्री कवासी लखमा, सदस्य द्वारा उनके पत्र दिनांक 13/12/2025 के माध्यम से यह सूचना दी गई है कि वे वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) तथा ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज किये गये पृथक अपराधों के संबंध में केन्द्रीय जेल, रायपुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं । ऐसी परिस्थिति में 14 दिसम्बर, 2025 से आयोजित किये जा रहे शीतकालीन सत्र में उनका भाग लिया जाना संभव नहीं है।

11. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई।

(1) श्री रोहित साहू
(2) श्री रिकेश सेन
(3) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
(4) श्री नीलकंठ टेकाम
(5) श्री ब्यास कश्यप

12.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लोक लेखा समिति

डॉ. चरणदास महंत, सभापति ने लोक लेखा समिति का अट्ठाईसवां से साठवां तक कुल 33 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष बुधवार दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक - 03)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
(क्रमांक - 08)	श्री बघेल लखेश्वर	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

(1) श्री रिकेश सेन
(2) श्री ललित चन्द्राकर
(3) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
(4) श्री धरमलाल कौशिक
(5) श्री रोहित साहू

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025)

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025)

श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) पुरःस्थापित किया।

15. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **पैंतीस हजार करोड़** रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उमेश पटेल, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामकुमार यादव, धरमलाल कौशिक, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती भावना बोहरा (माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, नीलकंठ टेकाम, द्वारिकाधीश यादव

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अनुज शर्मा, पुन्नूलाल मोहले

16. राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा की तिथि में परिवर्तन का प्रस्ताव

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को होने वाली सभा की बैठक में राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर की जाने वाली चर्चा को दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को अशासकीय कार्य संपन्न होने के पश्चात् रखा जाये।

तदनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि- क्या संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को होने वाली सभा की बैठक में राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर की जाने वाली चर्चा को दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को अशासकीय कार्य संपन्न होने के पश्चात् रखा जाये।

क्या सभा इस प्रस्ताव से सहमत है ?

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि- प्रस्ताव अनुसार कल दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को अशासकीय कार्य संपादित होने के बाद राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा होगी। मैं चर्चा के लिये दो घंटे का समय निर्धारित करता हूं।

17. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

रात्रि 8.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण -26, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा